कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

दिनांकः जनवरी 06, 2017

"अल्पकालिक निविदा सूचना"

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक सं0–11448/एडमिन (बी–5) दिनांकित 20.12.2016 के अनुपालन में जनपद न्यायालय इलाहाबाद के उपयोगार्थ **100 नग स्टील अलमारी , 05 नग वाटर कूलर क्षमता 150 लीटर मय आर0ओ0 तथा 75 नग डेजर्ट कूलर** के कय एवं स्थापित करने के सम्बन्ध में अधिकृत/पंजीकृत डीलरों से सील बन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं।

टेण्डर में स्टील अलमारी, वाटर कूलर व डेजर्ट कूलर के सम्बन्ध में उसकी कम्पनी, मेक व मॉडल का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में सील बन्द टेण्डर दिनांक **10.01.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे** तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय इलाहाबाद को डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रेषित/प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उक्त निविदा उसी दिन सायं 4.30 बजे कय समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा को खोले जाने के समय फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

उक्त सूचना/विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/allahabad. पर भी उपलब्ध है।

दिनांकः 06.01.2017

6/1/17
(ग्रीश कुमार वैश्य)
अध्यक्ष कय समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्या0 सं0–02, इलाहाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु :–

1– नोटिस बोर्ड , जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

3– नोटिस बोर्ड, नगर निगम, इलाहाबाद।

4– तहसीलदार, सदर, जनपद इलाहाबाद।

5– नोटिस बोर्ड , विकास भवन, इलाहाबाद।

6– इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

7– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एंव माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।

दिनांकः 06.01.2017

6/1/17
(ग्रीश कुमार वैश्य)
अध्यक्ष कय समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्या0 सं0–02, इलाहाबाद।

निविदा की शर्ते :–

दिनांक 10.01.2017 को जनपद न्यायालय, इलाहाबाद के लिए **100 नग स्टील अलमारी, 05 नग वाटर कूलर क्षमता 150 लीटर मय आर0ओ0 तथा 75 नग डेजर्ट कूलर** के कय एवं स्थापित करने के सम्बन्ध में अधिकृत/पंजीकृत डीलरों/फर्मो द्वारा निम्न शर्तो को पूर्णतया पालन करना होगा।

1– निविदायें सील बन्द लिफाफे में दिनांक 10.01.2017 को अपरान्ह 4.00 तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय इलाहाबाद में प्रेषित करनी होगी।

2– निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी, मॉडल नंम्बर आदि का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

3– निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

4– सामग्री का कय माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अनुदान के अनुसार ही किया जायेगा।

5– किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा।

6– निविदा में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान जैसे भाड़ा, वस्तु को स्थापित करने हेतु अतिरिक्त व्यय देय नही होगा।

7– भुगतान सामान के आपूर्ति के पश्चात किया जायेगा। विलम्ब होने पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क अथवा ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।

8– सभी वस्तुओं की आपूर्ति माननीय उच्च न्यायालय से बजट प्राप्ति के पश्चात ही ली जायेगी।

9– वस्तुओं की कय करने की संख्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित बजट पर निर्भर करती है, जो घट बढ सकती है।

10– किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

दिनांक: 06.01.2017

(हस्ताक्षर) 06/1/17

(ग्रीश कुमार वैश्य)
अध्यक्ष कय समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्या0 सं0–02, इलाहाबाद।